महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांक–7532/कु0का0/2025 दिनांक– 13/10/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

विषय–प्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों, निजी व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया की सघन जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1724/सत्तर–1–2025 दिनांक 09.10.2025 एवं पत्र संख्या 1535/सत्तर–1–2025 दिनांक 08.09.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों, निजी व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया की सघन जॉच के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्र संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि पत्र में दिये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, दिये गये निर्देशानुसार अपने–अपने महाविद्यालय में समस्त अभिलेख तत्काल तैयार करा लें, जिससे समिति द्वारा मांगे जाने पर आप द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी को संज्ञानार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1535/सत्तर-1-2025

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनॉक: 08 सितम्बर, 2025**

विषय- प्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों, निजी व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया की सघन जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों, निजी व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया, अधिनियमों के अनुपालन एवं छात्रों के हितों के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जॉच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें समिति के सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:-

1- जिलाधिकारी- अध्यक्ष

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (पुलिस कमिश्नरेट के जनपद होने की दशा में पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी)

3- शिक्षा विभाग का एक अधिकारी

2- उक्त समिति प्रत्येक संस्था से शपथ पत्र लेंगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि संस्थान द्वारा केवल मान्यता प्राप्त कोर्स की संचालित किये जा रहे है। संचालित सभी कोर्सो की सूची भी समिति प्राप्त करेंगी और उनके साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था जैसे आल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया (BCI), डिस्टेन्स एजुकेशन काउंसिल (DEC), डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया (DCI), इण्डियन नर्सिंग काउंसिल (INC), मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया (MCI), नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (NCTE), फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया(PCI) इत्यादि की मान्यता का विवरण, सीटों की संख्या सहित अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड/नियामक निकाय की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख होगा। समिति यह भी सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी छात्र का प्रवेश बिना मान्यता वाले कोर्स में नहीं हुआ है।

Go

Scanned with OKEN Scanner

3- समिति द्वारा यदि किसी संस्था में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित पाये जाते है तो संस्थान पर कठोर कार्यवाही का प्रस्ताव उपलब्ध करायेगी। ऐसे मामलों में छात्रों से लिये गये सम्पूर्ण शुल्क को ब्याज सहित वापस कराने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त जॉच कार्यवाही को सम्पादित करते हुए प्रत्येक जनपद से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर 15 दिन के अन्दर शासन को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0 पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
8- कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त पुलिस कमिश्नर/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11- निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज, उ0प्र0।
12- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
13- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
14- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- गार्ड फाइल।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

Go

Scanned with OKEN Scanner

अनुस्मरण पत्र
संख्या-1724/सतर-1-2025

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 09 अक्टूबर, 2025

विषय- प्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों, निजी व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया की सघन जॉच के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1535//सतर-1-2025 दिनांक 08 सितम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों, निजी व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया की सघन जॉच कर 15 दिन के अन्दर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्रकरण में वांछित आख्या अप्राप्त है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2025 के क्रम में प्रकरण की जांच आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Girijesh Kumar Tyagi
Date: 09-10-2025
19:06:53

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

Scanned with OKEN Scanner

6- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
8- कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10-समस्त पुलिस कमिश्नर/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11- निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज, उ0प्र0।
12-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
13-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
14-निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
15-गार्ड फाइल।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR DWIVEDI
Date: 09-10-2025
19:09:14

(संजय कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner